

पत्रांक सं: २१८९ / १२-१ दिनांक ०१ / ०५ / २०२४

सेवा में

विषय :- अधिशासी अभियन्ता,
 अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर।
 जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत दादेली भान्देली मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु १.१८८ हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या-
 FP/UK/ROAD/10369/2015)
 सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
 देहरादून का पत्रांक-१३४३/१२-१, दिनांक ०८.०१.२०२४।
 महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक ०६.०१.२०२२ के द्वारा निर्धारित एन०पी०वी० की धनराशि का आगणन कर संशोधित एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-०४, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक ९६३/X-4-15/1(492)/2015 दिनांक ३०.१०.२०१५ के द्वारा प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है परन्तु प्रस्ताव में वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-१२५७/PO दिनांक ०३-०६-२०२२ एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-१६५७/१-४१(IV) दिनांक ०७-०१-२०२२ के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन प्रकरणों में Stage-I Approval जारी की जा चुकी है किन्तु ०५ वर्ष बीत जाने के पश्चात भी वर्तमान तक Stage-II Approval जारी नहीं हुई है, ऐसे प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण से नई दरों पर एन०पी०वी० धनराशि जमा करवाने हेतु लिखा गया है। प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति वर्ष २०१५ में प्राप्त हुई है, प्रस्ताव को ०५ वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी, जिसके फलस्वरूप संशोधित नई दरों से निर्धारित अवशेष एन०पी०वी० की धनराशि जमा की जानी होगी, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

ईको क्लास	क्षेत्रफल (ह० मे)	Stage-I तिथि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन०पी०वी० धनराशि का विवरण (रु० में)			वर्तमान में निर्धारित नई दरानुसार एन०पी०वी० धनराशि का अंकेलन (रु० में)			जमा किये जाने वाली अवशेष एन०पी०वी० की धनराशि (रु० में)
			औसत घनत्व	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)	औसत घनत्व	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)	
V	१.१८८	३०-१०-२०१५	०.४०	८,४५,०००	१०,०३,८६०	०.४०	१२,९२,८५०	१५,३५,९०६	५,३२,०४६

अतः उपरोक्त तालिका के अनुसार जमा किये जाने वाली अवशेष एन०पी०वी० की धनराशि रु० नु० ५,३२,०४६.०० कैम्पा कोष में जमा करवाते हुए अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर एवं मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- / दिनांकित।
 प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 १- प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
 २- वन संरक्षक, भागरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

अभि
 २८/५/२०२४

प्रभागीय वनाधिकारी,
 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।